भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3111
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

बच्चों में कुपोषण

3111. **श्रीमती रचना बनर्जीः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वैश्विक पोषण रिपोर्ट, 2024 के अनुसार गंभीर श्रेणी में आने वाले 127 देशों में से भारत 105वें स्थान पर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या भारत में कुपोषण के संबंध में सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कम वजन वाले और ठिगनापन वाले बच्चों का वर्तमान प्रतिशत कितना है;
(ङ) क्या सरकार का विचार देश में भूख और कुपोषण से मरने वाले बच्चों को बचाने के लिए कुपोषण को चिकित्सा आपातकाल घोषित करने का है; और
(च) यदि हां, तो बनाई गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए और उठाए गए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): सरकार ने कुपोषण की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी है और पोषण से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समाधान करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनेक योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना (आकांक्षी जिलों और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत शामिल किया गया था। मिशन पोषण 2.0 बेहतर पोषण सामग्री और वितरण के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान करना चाहता है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जहां कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए

एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/ मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रक्ताल्पता (एनीमिया) से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एनीमिया से संबंधित विशेष थीम शुरू किया गया है। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता मिशन पोषण 2.0 के अभिन्न घटकों में से एक है, जिसके अंतर्गत बच्चों (06 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएलएम) और किशोरियों (14 से 18 वर्ष) को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है ताकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा भारतीय आबादी के लिए सुझाए गए अनुशंसित आहार भत्ते की तुलना में पोषक तत्वों के औसत दैनिक सेवन में अंतर को खत्म किया जा सके। पूरक पोषण के लिए पोषण मानक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में दिए गए हैं। कुपोषण की चुनौती से अधिक कारगर ढंग से निपटने के लिए हाल ही में इन मानकों को संशोधित किया गया है ताकि पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में इन्हें और अधिक व्यापक तथा संतुलित बनाया जा सके।

इसके अलावा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता को नियंत्रित करने के लिए पूरक पोषण के तहत केवल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 से समृद्ध फोर्टीफाइड चावल की आपूर्ति की जाती है। लाभार्थियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर भी अधिक जोर दिया जाता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) कार्यनीति क्रियान्वित कर रहा है। इसमें पूरे देश में कुपोषण को दूर करने के लिए कार्यकलाप शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) स्थापित किए जाते हैं ताकि चिकित्सा जटिलताओं वाले गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) पीड़ित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन-पेशेंट चिकित्सा और पोषण संबंधी देखरेख प्रदान की जा सके। उपचारात्मक देखरेख के अलावा, बच्चों के लिए समय पर, पर्याप्त और उचित आहार पर विशेष ध्यान दिया जाता है; माताओं और देखरेख करने वालों के कौशल में सुधार करके पूरी तरह से आयु-अनुकूल देखरेख और आहार संबंधी पद्धति में सुधार किया जाता है।
- एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) इस कार्यनीति को छह लाभार्थी आयु समूहों - बच्चों (6-59 महीने), बच्चों (5-9 वर्ष), किशोरों (10-19 वर्ष), गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन आयु समूह (15-49 वर्ष) की महिलाओं में एनीमिया को कम करने के लिए सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से छह कार्यकलापों के कार्यान्वयन के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
- स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए) कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। इसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीने में केवल स्तनपान कराना शामिल है जिसके बाद आयु-अनुकूल पूरक आहार पद्धति पर परामर्श दिया जाता है।
- स्तनपान प्रबंधन केंद्र: व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र (सीएलएमसी) में नवजात गहन देखरेख इकाइयों और विशेष नवजात शिशु देखरेख इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे और अल्प वजन वाले शिशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित, पाश्चुरीकृत डोनर ह्यूमन मिल्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। स्तनपान प्रबंधन इकाई (एलएमयू) माताओं को स्तनपान सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा के भीतर स्थापित की जाती है ताकि मां के स्तन के दूध को उसके बच्चे के उपभोग के लिए संग्रहित और वितरित किया जा सके।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) के तहत सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) में मृदा संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक ही दिन में दो बार (फरवरी और अगस्त) एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ एवं बाल देखरेख के बारे में जागरूकता सृजन के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) मनाए जाते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, बच्चों के कम वजन, ठिगनापन या दुर्बलता जैसे कुपोषण के संकेतकों में लगातार सुधार हुआ है। एनएफएचएस-5 (2019-21) की रिपोर्ट के अनुसार, एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण संकेतकों में सुधार हुआ है। ठिगनापन 38.4% से घटकर 35.5% हो गई है, जबकि दुबलापन 21.0% से घटकर 19.3% हो गई है और कम वजन की व्याप्तता 35.8% से घटकर 32.1% हो गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के लगभग 7.31 करोड़ बच्चों की लम्बाई और वजन को विकास मापदंडों पर मापा गया था। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगनापन से ग्रसित पाए गए, 17% अल्प वजन के पाए गए और 5.2% बच्चे कमजोर पाए

गए। पोषण ट्रैकर से लिए गए आकड़े के अनुसार बच्चों में अल्प वजन और दुबलापन का स्तर एनएफएचएस-5 द्वारा अनुमानित स्तरों की तुलना में बहुत कम है।

इसके अलावा, सरकार ने पोषण सहायता कार्यक्रम और सेवा प्रदायगी में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 13.1.2021 को सुव्यवस्थित दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में अच्छे पोषण परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरक पोषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, कर्तव्य धारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करने, आईटी सक्षम डेटा प्रबंधन और निगरानी, आयुष के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाने, खरीद और अभिसरण पर जोर दिया गया है।

*****